भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3118**

13 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**आयुष हेतु बजट**

3118. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आयुष का बजट 2019-20 में 1939 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 3647 करोड़ रुपये हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2024-2025 के लिए आयुष के लिए प्रस्तावित कुल अनुमानित बजट कितना है;

(ग) पंजीकृत आयुष चिकित्सकों की संख्या 2018 में लगभग 8 लाख से घटकर 2022 में 7.3 लाख होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि देश में आयुष अस्पतालों की संख्या 2018 में 3986 से घटकर 2022 में 3859 हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2023-2024 के लिए पंजीकृत आयुष चिकित्सा के चिकित्सकों और आयुष अस्पतालों की संख्या की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार देश में आयुष के चिकित्सकों, अस्पतालों, औषधालयों, बिस्तरों आदि की संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**
**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) और (ख): आयुष का बजट 2019-20 में 1939.76 करोड़ रुपये से बढ़कर 2023-24 में 3647.50 करोड़ रुपये हो गया है। बजट अनुमान (बीई) 2019-20, 2023-24 और 2024-25 के ब्यौरे **संलग्नक-I** में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ): चूंकि जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए अस्पतालों की संख्या और पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या के बारे में आंकड़े रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है। तथापि, आयुष मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, गैर-संस्थागत योग्यता प्राप्त (एनआईक्यू) पंजीकृत चिकित्सकों, जो 5/10 वर्षों के अनुभव के आधार पर पंजीकृत हुए हैं, की संख्या 2018 में 2.12 लाख से घटकर 2022 में 1.15 लाख हुई है, लेकिन संस्थागत योग्यता प्राप्त (आईक्यू) पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या उक्त अवधि के दौरान 5.88 लाख से बढ़कर 6.16 लाख हुई है। इसके अलावा, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंकड़ों में संशोधन के कारण, देश में आयुष अस्पतालों की संख्या 2018 में 3986 से घटकर 2022 में 3859 हुई है। दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत चिकित्सकों (डॉक्टरों) की संख्या और 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार आयुष अस्पतालों की संख्या के ब्यौरे **संलग्नक-II** में दिए गए हैं।

(च) और (छ): चूंकि जन-स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए देश में आयुष चिकित्सकों, अस्पतालों, औषधालयों, बिस्तरों आदि की संख्या बढ़ाने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उस क्षेत्र में 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों और नए आयुष औषधालय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है, जहां आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार, एनएएम के तहत, 50/30/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना, विशिष्ट एकल आयुष अस्पतालों के उन्नयन संबंधी कार्यकलापों के साथ-साथ उनमें आयुष चिकित्सकों की संविदात्मक तैनाती के लिए भी प्रावधान

है। इस संबंध में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होते हैं।

*****

संलग्नक-I

# वर्ष 2019-20 और 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई)

(करोड़ रुपए में)

| क्र. सं. | योजनाएं/कार्यक्रम | बजट अनुमान (बीई) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | 2023-24 | 2024-25 |
| **1** | **केंद्र का स्थापना व्यय** | **110.04** | **79.76** | **90.41** |
| 1 | सचिवालय - आयुष मंत्रालय | 40.29 | 48.44 | 54.98 |
| 2 | राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड | 59.50 | 13.28 | 14.63 |
| 3 | एएसयू की भेषजसंहिता समितियां और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) का सुदृढ़ीकरण % | 0.00 | 18.04 | 20.80 |
| 4 | भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद % | 4.75 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | होम्योपैथिक भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद % | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **सांविधिक/स्वायत्त निकाय** | **1031.39** | **2182.30** | **2044.88** |
| 1 | भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली को अनुदान @ | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | केंद्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली को अनुदान ^ | 3.40 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर ! | 0.00 | 150.13 | 144.05 |
| 4 | भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग @ | 0.00 | 23.45 | 32.43 |
| 5 | राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ^ | 0.00 | 12.67 | 20.00 |
| 6 | केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद को अनुदान | 292.31 | 379.50 | 413.54 |
| 7 | केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान | 152.65 | 173.30 | 228.05 |
| 8 | केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद को अनुदान | 118.53 | 145.00 | 144.00 |
| 9 | अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), नई दिल्ली | 40.00 | 235.15 | 227.20 |
| 10 | राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता को अनुदान | 50.00 | 108.59 | 91.69 |
| 11 | एएसयू की भेषजसंहिता समितियां और भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढ़ीकरण % | 4.48 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर को अनुदान ! | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को अनुदान | 93.50 | 246.55 | 170.05 |
| 14 | राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ को अनुदान | 8.50 | 23.66 | 29.27 |
| 15 | राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, तमिलनाडु को अनुदान | 38.00 | 94.94 | 100.87 |
| 16 | राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बंगलौर को अनुदान | 40.00 | 161.30 | 98.85 |
| 17 | मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान | 18.00 | 95.43 | 48.00 |
| 18 | राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे को अनुदान | 26.00 | 34.30 | 40.29 |
| 19 | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग | 18.02 | 63.23 | 41.14 |
| 20 | पूर्वोत्तर आयुष/लोक चिकित्सा संस्थान, पासीघाट $$ | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद को अनुदान | 41.35 | 103.57 | 100.45 |
| 22 | राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| 23 | राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान | 0.00 | 39.32 | 23.42 |
| 24 | राष्ट्रीय सोवा-रिग्पा अनुसंधान संस्थान | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद को अनुदान | 36.50 | 51.36 | 50.58 |
| 26 | इंस्टीट्यूट फॉर हाई एल्टीट्यूड मेडिकल प्लांट्स, भदरवाह, जम्मू-कश्मीर | 0.00 | 2.00 | 0.52 |
| 27 | पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पासीघाट $$ | 0.00 | 38.70 | 40.33 |
| **3** | **केंद्रीय क्षेत्र योजना** | **142.33** | **185.44** | **377.20** |
| 1 | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (आईएमपीसीएल, मोहान, उत्तर प्रदेश) | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | सूचना, शिक्षा और संचार | 52.60 | 41.00 | 43.20 |
| 3 | आयुष और जन-स्वास्थ्य (पीएचआई) # | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | आयुष शिक्षा/औषधि विकास एवं अनुसंधान/नैदानिक अनुसंधान/लोक चिकित्सा आदि में लगे गैर-सरकारी/निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त आयुष उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को सहायता # | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | अनुसंधान संस्थानों आदि के माध्यम से बाह्य अनुसंधान (ईएमआर) परियोजनाएं * | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | आयुष कार्मिकों का पुनः अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम/सतत चिकित्सा शिक्षा (आरओटीपी/सीएमई) * | 3.50 | 0.00 | 0.00 |

| क्र. सं. | योजनाएं/कार्यक्रम | बजट अनुमान (बीई) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2019-20 | 2023-24 | 2024-25 |
| 7 | अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना | 16.00 | 44.27 | 137.42 |
| 8 | आयुष उद्योग समूहों के लिए सामान्य सुविधाओं का विकास ** | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | एएसयू दवाओं के लिए भेषजसतर्कता पहल $ | 1.80 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | केंद्रीय आयुष औषधि नियंत्रक (सीडीसी) $ | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | चैंपियन क्षेत्र योजना | 50.01 | 44.27 | 0.00 |
| 12 | आयुर्ज्ञान * | 0.00 | 9.00 | 49.50 |
| 13 | आयुर्स्वास्थ्य योजना # | 0.00 | 6.00 | 72.59 |
| 14 | आयुष गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना $ | 0.00 | 20.00 | 25.00 |
| 15 | औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास एवं सतत प्रबंधन की केंद्रीय क्षेत्र योजना | 0.00 | 43.49 | 49.49 |
| | **कुल: (1 + 2 + 3)** | **1283.76** | **2447.50** | **2512.49** |
| **4** | **केंद्रीय प्रायोजित योजना** | | | |
| 1 | राष्ट्रीय आयुष मिशन | 656.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| | **कुल: 4** | **656.00** | **1200.00** | **1200.00** |
| | **समग्र योग: (1 + 2 + 3 + 4)** | **1939.76** | **3647.50** | **3712.49** |

नोट :-

% एचपीएल, पीएलआईएम एवं पीसीआईएम का विलय कर दिया गया और पीसीआईएम एंड एच नामक नए अधीनस्थ कार्यालय का गठन किया गया है।

@ सीसीआईएम को भंग कर दिया गया है और एनसीआईएसएम नामक नए सांविधिक निकाय का गठन किया गया है।

^ सीसीएच को भंग कर दिया गया है और एनसीएच नामक नया सांविधिक निकाय बनाया गया है।

! आईपीजीटीआरए का नाम बदलकर आईटीआरए कर दिया गया है।

$$ एनईआईएफएम का नाम बदलकर एनईआईएएफएमआर कर दिया गया है।

# सीओई एवं पीएचआई का विलय कर दिया गया है और आयुर्स्वास्थ्य योजना नाम से एक नई योजना तैयार की गई है।

* आरओटीपी/सीएमई तथा ईएमआर का विलय कर दिया गया है और आयुर्ज्ञान नाम से एक नई योजना तैयार की गई है।

$ एएसयू औषधियों के सीडीसी और भेषजसतर्कता पहल का विलय कर दिया गया है और एओजीयूएसवाई नामक एक नई योजना तैयार की गई है।

**संलग्नक-II**

| क्र.सं. | पद्धति | दिनांक 01.01.2023 की स्थिति के अनुसार पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या | दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार आयुष अस्पतालों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | आयुर्वेद | 3,55,416 | 3,005 |
| 2 | यूनानी | 51,969 | 267 |
| 3 | सिद्ध | 9,531 | 298 |
| 4 | योग | - | 15 |
| 4 | प्राकृतिक चिकित्सा | 4,379 | 34 |
| 5 | सोवा-रिग्पा | 66 | 5 |
| 6 | होम्योपैथी | 3,30,407 | 261 |
| | **कुल** | **7,51,768** | **3,885** |